प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0।

सेवा में,
1–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– 573 /2012/वि·क·/ दिनांक 21 अगस्त, 2012

विषयः–इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त कर दी गई है। भारत सरकार की अवमुक्ति के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्ति भी कर दी गई है परन्तु माह जुलाई की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जनपदों की प्रगति शून्य अथवा नगण्य है। योजना के अन्तर्गत जिला ग्राम विकास अभिकरण द्वारा शासी निकाय की बैठक में योजना की गाइडलाइन के अनुसार ग्रामवार लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया गया होगा।

लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के निर्धारण की प्रक्रिया शासन के विचाराधीन है। किन्तु डा0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों की सॅख्या जिलेवार पहले से आवंटित की जा चुकी है चूंकि वित्तीय वर्ष में 04 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है और यदि समय से धनराशि का उपभोग नही किया जाता है तो द्वितीय किश्त की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त करने में कठिनाई होगी। भारत सरकार को प्रस्ताव बिलम्ब से प्रेषित करने के फलस्वरूप योजना की मार्ग निर्देशिका के अनुसार धनराशि की कटौती भी की जा सकती है जिससे ग्रामीण गरीब परिवारों को आवासों का आवंटन अपेक्षानुरूप नही हो सकेगा।

अतः कार्यहित में यह निर्णय लिया जाता है कि जनपद में डा0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों की संख्या के सापेक्ष प्रति ग्राम 50 आवासों को रोकते हुए शेष आवासों के लक्ष्यों को योजना की मार्ग निर्देशिका के अनुसार ग्रामवार विभाजित करते हुए लाभार्थियों के खातों में धनराशि का हस्तान्तरण किया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार आवासों का आबंटन कर प्रगति आख्या दिनांक 27.08.2012 को आयोजित बैठक में निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र सं.	जनपद का नाम	कुल वित्तीय लक्ष्य	कुल भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय प्रगति	कुल आवासों की संख्या जिनको प्रथम किस्त की धनराशि हस्तान्तरित कर दी गयी है
1	2	3	4	5	6

भवदीय

(अनिल गर्ग)
आयुक्त
ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः— 573 /2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

2— स्टॉफ ऑफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।

3— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश शासन ।

4— सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(अनिल गर्ग)
आयुक्त
ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश।